

प्रपत्र-2.2

भाग-III

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

P.No.- FP/UK/ROAD/23941/2017

- 14- स्थल, जहां की वन भूमि शामिल की गयी है क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण की तारीख और किए गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।
- 15- क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।
- 16- प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों साथ-साथ प्रस्तावक विभाग के व्यय पर परियोजना के साथ विशेष सिफारिशें।

हाँ। दिनांक 07.03.2019 को क्षेत्र में प्रभावित होने वाले बांज वृक्षों का संयुक्त निरीक्षण किया गया। (निरीक्षण नोट संलग्न है)

सहमत

Total area required for this proposal is 0.3845 ha. Of which 0.2975 ha is reserve forest. There are total 39 Oak trees of different class (dia) will be affected by this proposal under Mussoorie forest division. To compensate the loss Oak trees, ANR of Oak in adjoining area was recommended. However as per direction of APCCF and Nodal officer, forest conservation, uttarakhand, dehradun seprate estimate for ANR is not required and if essential, it should be included in CA estimate. Hence the proposal is recommended on the basis of above ground.

संलग्नक :- निरीक्षण नोट।

तिथि- 08.03.2019

स्थान- देहरादून

हस्ताक्षर

नाम और पदनाम (पी0के0 पात्रो)

CONSERVATOR OF FOREST
Yamuna Circle Uttarakhand,
सरकारी मोहर DEHRADUN.

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रायपुर-कुमाल्डा-कददूखाल मोटर मार्ग के कि०मी०-35 से घेना गांव तक के नवनिर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/23941/2017)

बाँज वृक्षों के पातन का प्रमाण-पत्र/निरीक्षण टिप्पणी

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण के लिए मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत आवेदित वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु प्रस्तावित संरक्षण का स्थलीय निरीक्षण प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी, राजि अधिकारी रायपुर रेंज व अधीनस्थ स्टाफ कर्मचारी के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 07.03.2019 को किया गया, जिसमें याचक विभाग के अधिकारी/कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रश्नगत मोटर मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है, जिसमें मसूरी वन प्रभाग की 0.2975 है० आरक्षित वन भूमि तथा 0.0870 है० सिविल एवं सोयम भूमि कुल 0.3845 है० प्रभावित हो रही है जो कि किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है तथा चिन्हित संरक्षण/स्थल से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

मोटर मार्ग की कुल लम्बाई 3.3250 कि०मी० है, जिस हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा गठित किया गया है। मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम घेना के ग्रामीण लाभान्वित होंगे, जिनकी आबादी लगभग 375 है।

प्रस्ताव के अनुसार परियोजना हेतु चयनित संरक्षण में विभिन्न व्यास वर्ग, प्रजाति के आरक्षित वन भूमि, सिविल एवं सोयम वन भूमि एवं वन पंचायत भूमि मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत 69 वृक्ष प्रभावित होंगे। परियोजना के निर्माण से मसूरी वन प्रभाग के अन्तर्गत प्रभावित होने वाले बाँज वृक्षों का व्यासवार विवरण निम्न प्रकार है :-

भूमि का प्रकार	प्रजाति	परियोजना के निर्माण में बाधक बाँज वृक्षों का व्यास वर्गवार विवरण										योग
		0-10	10-12	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90 over	
आरक्षित वन भूमि	बाँज	08	06	07	09	03	02	01	02	00	00	38
सिविल भूमि	बाँज	01	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01
योग		09	06	07	09	03	02	01	02	00	00	39

अन्य कोई विकल्प न होने के कारण परियोजना निर्माण हेतु चिन्हित संरक्षण में ओक मिश्रित वन के आरक्षित वन भूमि में बाँज के 38 व सिविल सोयम भूमि में बाँज के 01 कुल 39 बाँज वृक्षों का पातन किया जाना अपरिहार्य है।

अतः प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु चिन्हित संरक्षण को स्थलीय निरीक्षण में उपयुक्त पाया गया तथा निम्नलिखित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश के साथ संस्तुति की जाती है।

1. मोटर मार्ग के लिए पातन हेतु चिन्हित होने पर भी आवश्यकतानुसार ही वृक्षों का पातन किया जाय और इस बात का ध्यान रखा जाय कि किसी अन्य वृक्षों को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचने पाय।
2. मोटर मार्ग के दौरान उत्सर्जित मिट्टी एवं अन्य मलबे को निर्धारित मक डिस्पोजल/डम्पिंग यार्ड क्षेत्र में ही निस्तारित किया जाय।

3. इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि वन अग्निकाल के दौरान आस-पास के वन क्षेत्र में वनाग्नि दुर्घटना घटित न होने पाय।
4. यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मोटर मार्ग हेतु रखे गये मजदूरों द्वारा किसी भी वन्यजीव का आखेट न होने पाय। ऐसा होने पर कार्यदायी संस्था के संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

(पी०के० पात्रो)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।



कार्यालय वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक- 17931

देहरादून दिनांक, ०४ मार्च, 2019

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।
3. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड-2, पी०एम०जी०एस०वाई०, नई टिहरी।

(पी०के० पात्रो)

वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड देहरादून।